STATEMENT BY MINISTER

I. Indira Gandhi National old-age Pension Scheme

II. Status of National Rural-Employment Guarantee Act (NREGA)

III. Status of Implementation of the components of Bharat Nirman relating to the Ministryof Rural Development

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : सभापति महोदय, मैं इंदिरा गांधी पेंशन योजना, जो भारत सरकार का राष्ट्रीय सामाजिक सहायताक कार्यक्रम का एक घटक है, के कार्यान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूँ। भारत सरकार्के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा का उल्लेख है, जिसमें यह कहां गया हैं कि सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा और योजनाओं काविस्तार जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में यह घोषण की थी कि "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" के अर्तगत 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित लोगों को 75 रूपए प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है । यह खेद की बात है कि यह अपर्याप्त है । मैं पेशन की राशि को बढ़ाकर 200 रूपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे भी अपने संसाधनों से इतना ही अंशदान दे ताकि पेशन प्राप्त करने वाले निराश्रितों को कम से कम 400 रूपए प्रति माह मिल सके । इस समय सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति लाभार्थी प्रति माह कम से कम 200 रूपए पेंशन दे रहे हैं । इसके अलावा, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति लाभार्थी, प्रति माह 200 रूपए या इससे अधिक दे रहे हैं । इसके अलावा, सभी ग्रामीण और शहरी गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन देने तथा इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2007 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कहा था कि हम 65 वर्ष से अधिक आयु और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन देंगे । उसी के अनुसरण में भारत सरकार ने 13.9.2007 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड में किए गए परिशोधन को अनुमोदित कर दिया । मौजूदा मानदंड के अनुसार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अतंर्गत 65 वर्ष की आयु अथवा इससे अधिक और निराश्रित व्यक्ति को पेंशन दी जाती है। इस मानदंड को परिशोधित कर दिया गया है और अब उन वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी जो 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हों और निराश्रित हों । इस मानदंड को परिशोधित कर दिया गया है और अब उन वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी जो 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार से हों ।

यह निर्णय भी लिया गया था कि इस योजना का नाम "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावथा पेंशन योजना" रखा जाए, इस योजना को पूरी तैयारी के साथ 19.11.2007 को शुरू किया जाए, राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि सभी पात्र व्यक्तियों को कवर किया जाए तथा जहां भी व्यवहार्य हो, पेंशन का भुगतान लाभार्थी के डाकघर खाते अथवा सार्वजनिक बैंक खाते में किया जाए ।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, सभी राज्य सरकारें/संघ क्षेत्रों से यथाशीघ्र मानदंडो के अनुसार अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करें उनसे यह अनुरोध भी किया गया था कि वे राज्य तथा जिला स्तर पर तथा यदि संभव हो तो ब्लॉक एंव पंचायत स्तर पर उपयुक्त तरीके से 19.11.2007 को आईजीएनओएपीएस की शुरूआत करें । उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत में भी भाग लें ।

आईजीएनओएपीएस का राष्ट्रीय शुभारम्भ प्रधान मंत्री द्वारा 19.11.2007 को जीएमसी बालयोगी सभागार, संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली में किया गया था, इसमें लगभग 800 लाभार्थियों तथा 24 राज्यों से राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया तथा इस समारोह में प्रधान मंत्री के कर-कमलों से मंजूरी आदेश वितरित किया गया । शुभारम्भ समारोह में वित्त मंत्री ने भी भाग लिया । इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना । एम मांग आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है तथा इसमें बजट की कोई बाधा नहीं है । नए मानदंडों से लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 87 लाख की लगभग दुगुनी होकर 1.6 करोड़ हो जाएगी । हमने अपने कमजोर वृद्ध नागरिको में कुछ सुरक्षा की भावना पैदा करने की शुरूआत की है । सामाजिक सहायता के दायरे में विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों को भी शामिल करना उचित है । वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को शामिल करने की जरूरत है । हमें आश है कि हम भविष्य में ऐसा कर लेंगे ।

आइजीएनओएपीएस के अतंर्गत लगभग 157.19 लाखाय लाभार्थियो को कवर करने में प्रति वर्ष 3772.56 करोड़ रूपए का खर्च आएगा । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के लिए 435.07 करोड़

रूपए प्रति वर्ष उपलब्ध कराए गए हैं । इस प्रकार एनएसएपी के लिए कुल 2407.63 करोड़ रूपए के बजट का अनुमान है ।

महोदय, इसके साथ ही NREGA का जो स्टेटस है, मैं सदन में रखता हूं और भारत निर्माण के जो तीन खंड है, जिसका उल्लेख कल की कार्यसूची मे था, वह मैं भी सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार) **:** उपसभापति महोदय, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा । मंत्री जी ने खंड 9 में उल्लेख किया है...(**व्यवधान**)....

श्री उपसभापति : देखिए, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, ...(**व्यवधान**).... देखिए, मंडल जी ...(**व्यवधान**)....

श्री मंगनी लाल मंडल : जो विधवा और विकलागं है ...(**व्यवधान**)....

श्री उपसभापति : अब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ...(**व्यवधान**)....

श्री मंगनी लाल मंडल : यह विरोधाभास है । विकलांग और विधवा के लिए शुरूआत की है या नहीं की है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री जी ने भाषण में वक्तव्य दिया था, कार्यान्वयन के लिए हम प्रस्ताव ला रहे हैं । सदन से समर्थन की अपेक्षा है ।

श्री मंगनी लाल मंडल : ठीक है, धन्यवाद ।

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENTS BY MIINISTERS—Condt.

Re. Violence By All Adivashi Students Association of Assam (Aasaa) uii 24"" November, 2007 in— in Guwahati

MR. DEPTY CHAIRMAN: Shri D.N. Sharmah. Please seeic clariflcation on the statement made by the Minister.

SHRI DWIJENDRAN ATH SHARMAH (Assam): Sir, at the outset, I would like to condemn the incident that took place on 24th November. I must extend my sympathies to those people who were seriously injured, to families that lost lives and to those who lost valuable property in such incidents.

Sir, the All Assam Adivasi Students Association has been demanding Scheduled Tribe status for a long time and they feel that if Scheduled Tribe status is given to those people, they will be benefited and they would get employment. This is not a new demand in Assam. They have been agitating over this issue for the last 15 years. Every year they used to come to the capital city, Guwahati, to demonstrate and put forth their demands. Past history shows that the demonstrations made by the Adivasi Students Association earlier have been very peaceful.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sharmah, this is not clarification. Please seek clarification.

SHRI DWIJENDRANATH SHARMAH: Now, Sir, I would like to ask the Government and particularly the hon. Home Minister about it since this has been a long-standing demand of such a huge population of our state. Not only that, it has been mentioned in the statement of the Minister that initially, Assam Government had been consistently opposed to such a demand. I believe Sir, that this is not correct. The then Government may have done that but the present Assam Government has given a specific proposal and recommendation to give them Scheduled Tribe status and also to other communities like Koch Rajbongshi, Moran, Motok, Ahom, etc.